न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2026	2025/53	07.04.2026	14.05.2026

1– विक्रम सिंह पुत्र स्व0 किशन लाल,
2– रामपाल यादव पुत्र स्व0 किशन लाल जाति अहीर निवासीगण गाम कंकराली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
3– रामपति देवी पुत्री स्व0 किशन लाल पत्नी सरजीत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कंकराली तहसील तिजारा हाल निवासी शंकरपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2– उषा पत्नी तेजाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कंकराली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 02.02.2026 नामान्तकरण संख्या 2636 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–
01. श्री हरीश कुमार –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2636 निर्णय दिनांक 02.02.2026 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि खाता संख्या नया 413 में वर्णित आराजी खसरा न0 401 रकबा 0.9600 है0 का 9/19 हिस्सा, खाता संख्या नया 256 में वर्णित आराजी खसरा न0 444 रकबा 0.4800 है0 का 5/64 हिस्सा, खाता संख्या नया 195 में वर्णित आराजी खसरा न0 398 रकबा 0.7200 है0 का 1/3 हिस्सा, खाता संख्या नया 61 में वर्णित आराजी खसरा न0 414 रकबा 0.3700 है0 का 5/16 हिस्सा, खाता संख्या नया 60 में वर्णित आराजी खसरा न0 438 रकबा 0.6600 है0, 439 रकबा 0.3200 है0, 442 रकबा 0.3400 है0 किता 3 रकबा 1.3200 है0 का 5/6 हिस्सा वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास में स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्टान के स्वर्गीय पिताजी किशन उर्फ किशनलाल पुत्र भोमला की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसमें अपीलान्टान का जन्म से हक हिस्सा व अधिकार कायम है। नामान्तकरण संख्या 2636 में वर्णित आराजी मिन अपीलान्टान के स्वर्गीय पिताजी किशन उर्फ किशनलाल के हक हिस्से की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी जिसकी बाबत उनके नाम का अंकन पूर्व जमाबन्दी व नामान्तकरण में दर्ज हो रहा है, परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है:–

किशन उर्फ किशनलाल (मृतक) रामपाल यादव (पुत्र), विक्रम सिंह (पुत्र), कैलाश चन्द पुत्र बिला सन्तान फौत, रामपति देवी (पत्री) अपीलान्टान के पिताजी किशन उर्फ किशनलाल का देहान्त दिनाक 06.05.2024 को हो गया है, तथा अपीलान्टान की माताजी सरवन का देहान्त दिनाक 07.09.2017 को हो गया है। अपीलान्टान के सगे भाई कैलाश का देहान्त दिनाक 10.02.2001 को हो गया है, जिसके कोई सन्तान नही थी। अपीलान्टान

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

के स्वर्गीय भाई कैलाश चन्द का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उषा के साथ हुआ था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मिन अपीलान्टान के भाई कैलाश चन्द के देहान्त के कुछ समय बाद ही अपना घरवासा तेजराम पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी कंकराली तहसील तिजारा के साथ कर लिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तेजराम के साथ घरवासा करने के बाद से ही तेजाराम की विवाहिता पत्नी के रूप में उसके साथ उसके घर में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तेजाराम के नुतफे से सन्तान भी पैदा हो गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तेजाराम के साथ अपना घरवासा करने के बाद से ही मिन अपीलान्टान व उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार कोई संबंध नाता रिश्ता आज दिन तक कायम नही रखा है। जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अपीलान्टान से अथवा उनके परिवार से कोई रिश्ता संबंध व नाता नही रह गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि एक चतुर व चालाक प्रवृति की महिला औरत है, जो मिन अपीलान्टान के पिताजी के देहान्त के बाद से ही मिन अपीलान्टान के पिताजी के हक हिस्से की आराजी को हडपना चाहती है, जिसके कारण येन केन प्रकरण किसी न किसी प्रकार की चाराजोही करती रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनाक 27.01.2026 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एक प्रार्थना पत्र अपीलान्टान के स्वर्गीय पिताजी किशन पुत्र भोपला की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने आपको हम अपीलान्टान के स्वर्गीय भाई कैलाश चन्द की पत्नी दर्ज करते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके अधिनस्थ व कर्मचारियो से साज–बाज होकर बाला–बाला नामान्तकरण दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम का अंकन बतोर खातेदार दर्ज करा लिया। दिनाक 10.02.2026 को हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिले और अपने मृतक पिताजी किशन उर्फ किशनलाल की मृत्यु होने पर उनके हक हिस्से की आरजी का विरासत का नामान्तकरण विधिक वारिस होने के नाते अपने हक में दर्ज करवाने हेतु जानकारी प्राप्त करनी चाही जिस पर अपीलान्टान को ज्ञान हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर उक्त नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है। जिस पर अपीलान्टान ने नामान्तरण व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जाकर अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलान्टान के स्वर्गीय पिताजी किशन उर्फ किशनलाल पुत्र भोमला की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। कैलाश का देहान्त दिनाक 10.02.2001 को हो गया जिसके कोई सन्तान नही थी। अपीलान्टान के स्वर्गीय भाई कैलाश चन्द का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उषा के साथ हुआ किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 देहान्त के कुछ समय बाद ही घरवासा/पुर्नविवाह तेजराम पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी कंकराली तहसील तिजारा के साथ कर लिया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तेजराम के साथ घरवासा/पुर्नविवाह करने के बाद से ही तेजाराम की विवाहिता पत्नी के रूप में उसके साथ उसके घर में रहकर अपना जीवन–यापन कर रही है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तेजाराम के नुतफे से सन्तान भी पैदा हो गयी है। विधिक प्रावधानानुसार ऐसे मामलो में उत्तराधिकार खुलने की तारीख पर पुनर्विवाहित हो, तो भी वह निर्वसीयत की सम्पति में उत्तराधिकार पाने की हकदार है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2636 वाके ग्राम अलमदीका निर्णय दिनाक 02.02.2026 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)